

राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर रायसिंहनगर


क्रमांक:- 278

दिनांक:-

-:आदेश:-

प्रार्थी के खाता दुरुस्ती प्रार्थना पत्र पटवारी व
 भू.अ.नि. की रिपोर्ट तथा तहसीलदार नायब तहसीलदार
 की अनुशंसा के आधार पर राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 138 के
 अनुसरण में ग्राम तहसील जिला की जमाबंदी
 सम्वत् 2075-79 में खाता संख्या में वर्तमान में दर्ज प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप से
 शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते हैं।


क्र०सं	ग्राम	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि अशुद्ध प्रविष्टि	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज की जानी है)
1	38NP	15	रहम- SBBJ शाखा RSHK	रहम- SBI शाखा RSHK


 उपखण्ड अधिकारी एवं
 पदेन सहायक कलक्टर
 रायसिंहनगर

दिनांक:-

क्रमांक:- 279/280

1. तहसीलदार को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद शीघ्र किया जाकर पालना रिपोर्ट भिजवाये।
2. प्रार्थी श्री को सूचनार्थ।
3. रक्षित पत्रावली।


 उपखण्ड अधिकारी एवं
 पदेन सहायक कलक्टर
 रायसिंहनगर

